संख्या-14/2018/394/71-4-2018-एस-1/2015

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनाँक 06 नवम्बर, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा के अन्तर्गत 300 बेडेड नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-124/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/17-18, दिनांक 09.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा के अन्तर्गत 300 बेडेड नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु व्यय समिति की बैठक दिनांक 16.10.2015 में उक्त प्रायोजना की मूल लागत रू0 2080.34 लाख आंकलित की गयी । इस मूल लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-105/2015/1804/71-2-15-एस-1/2015, दिनांक 10-12-2015 द्वारा रू0 2080.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक विभिन्न् शासनादेशों के माध्यम से कुल 1664.27 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि
1.	105/2015/1804/71-2-15-एस-1/2015, दिनांक 10-12-2015	512.47 लाख
2.	26/2016/743/71-2-15-एस-1/2015, दिनांक 01-03-2016	175.69 लाख
3.	27/2016/694/71-2-15-एस-1/2015, दिनांक 01-03-2016	143.98 लाख
4.	18/2017/226/71-2-15-एस-1/2015, दिनांक 03-03-2017	687.67 लाख
5	119/2017/650/71-2-17-एस-1/2015, दिनांक 03-03-2017	144.46 लाख
	योग	1664.27 लाख

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 300 बेडेड नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू0 2369.92 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान 31 के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 315.16 लाख (रूपए तीन करोड पन्द्रह लाख् सोलह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. कार्यदायी संस्था तथा विश्वविद्यालय द्वारा आय(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था तथा विश्वविद्यालय की होगी।
3. कार्यदायी संस्था तथा विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है।
4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो।
6. विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०/डाकघर खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा।
9. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
10. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगृति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के हस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-05-रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3-2267/दस-2018 दिनांक 06 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 14/2018/394(1)/71-4-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी,उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।